



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कमजोर वर्ग के बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति

शोधार्थी

उमेश चन्द्र महतो

शिक्षा विभाग

राधा गोविन्द विश्वविद्यालय,

रामगढ़, झारखण्ड

सारांश :-

जनजाति महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मात्र साधन शिक्षा ही है क्योंकि शिक्षा महिलाओं की अज्ञानता को दूर करके उनमें ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित करने का एक बहुत प्रभावी शस्त्र है। जिसकी शुरुआत प्राथमिक शिक्षा द्वारा की जा सकती है। जहाँ पर बालिकाओं को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः शिक्षा के द्वारा ही अंधविश्वास तथा रूढ़ियों जैसे बाल विवाह, अनमोल विवाह, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों को दूर करने का ज्ञान प्राप्त है। शिक्षा जनजाति महिलाओं को अपने हित एवं अहित का भी ज्ञान दिलाता है तथा निर्णय लेने के लिए सक्षम, बनाता है। शिक्षा महिला को आजीविका कमाने पुरुषों की तरह कार्य करके आत्म निर्भर बनाने में एवं स्वाभीमान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जिससे उन्हें समाज में सम्मान मिलता है। शिक्षा महिलाओं को अपने पारिवारिक दायित्वों को भलि भांति निभाने में सहायता करती है। अतः शिक्षा ही वह साधन है जो एक महिला को अपने परिवार, समाज, और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में उसे सक्षम बनाती है।

इस जनजातियों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा अत्यंत ही निम्नकोटि की होती है उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें समाज में अनेक कुप्रथाओं परम्पराओं अंधविश्वासों एवं मूल्यों का सामना करना पड़ता है। उनकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है जिस कारण दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति दयनीय होती जाती है। उन्हें अपने ऊपर किए गए अत्याचारों पर आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। उन्हें पुरुषों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है।

परिचय :-

भारत में आधी से ज्यादा महिलायें गाँवों में रहती हैं। देश की अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विकास के प्रक्रिया में उन्हें बराबर की भागीदारी माना जाना चाहिए तथा वे अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा सकें इसलिए ग्रामीण जनजाति महिलाओं को शिक्षा मिलना अनिवार्य है। किंतु आज भी परिस्थिति संतोषजनक नहीं है। बालिकाओं में प्राथमिक विद्यालयों में खासकर गाँवों में उनकी संख्या बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति अत्यंत ही निम्न कोटी की है इसका सबसे बड़ा कारण संसाधनों का गाँव में उपलब्ध न होना। ग्रामीण समाज में लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता है। माना जाता है कि उसका मुख्य काम घर की देखभाल करना है।

हमारे देश की जनसंख्या के 20 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हैं। उनमें से अधिकांश लोग गरीब एवं पिछड़े हुए हैं। वे शिक्षित नहीं हैं तथा कई सामाजिक बुराईयों के शिकार हैं। वे पिछड़ेपन कुण्ठाओं, उग्रता अलगाव, एवं अपराधों से ग्रस्त हैं। इन अनुसूचित जातियों में महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। उन्हें अपने समाज एवं परिवार उचित सम्मान एवं अधिकार नहीं प्राप्त होती हैं। जिस कारण उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होता जा रही है। अतः उनको शिक्षा द्वारा उचित सम्मान दिलाना ही एक मात्र रास्ता है। इन ग्रामीण जनजाति महिलाओं का उत्थान किए बिना देश विकास की दशा में आगे नहीं बढ़ सकता है।

तकनीकी शब्द :- कमजोर वर्ग।

शिक्षा की अवधारणा

अति प्राचीन काल से शिक्षा की अवधारणा विचारकों तथा दार्शनिकों के मस्तिष्कों को आन्दोलित करती आ रही है "शिक्षा शब्द एक व्यापक गुणार्थ है इस कारण उसको सार रूप में परिभाषित करना कठिन है। जीवशास्त्री, धर्मप्रवर्तक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, शिक्षक, अभिभावक, राजनीतिज्ञ, समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री आदि सभी उसको विभिन्न अर्थों में परिभाषित करते हैं। इस कारण शिक्षा बहुअर्थी है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस शब्द (शिक्षा) के विषय में पढ़ता या सुनता है वह इसको अपने हित की दृष्टि से विवेचित या परिभाषित करता है ये सभी व्यक्ति जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण से उसकी विवेचना करते हैं। उदाहरणार्थ – अभिभावक इसको एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखता है जो उसके बालक को समाज में समृद्धि, प्रतिष्ठा तथा नाम प्रदान करने के योग्य बनाती है। शिक्षक इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार करता है— यह बालक को नवीन बनाने में सहायता प्रदान करती है साथ ही यह समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाती है। छात्र इसको दूसरे रूप में देखता है। शिक्षा ज्ञान, अमिवृत्तियाँ तथा कौशल प्रदान करने वाला साधन है साथ ही यह डिग्री व प्रमाण पत्र प्रदान करती है। धर्मप्रवर्तक इस शब्द की व्याख्या करता है इसके द्वारा भौतिक बर्बरता को समाप्त करके

आध्यात्मिक मूल्यों को ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार सभी व्यक्ति शिक्षा शब्द की विवेचन अपने – अपने दृष्टिकोण से करते हैं।

कमजोर वर्ग के बालिकाओं की शैक्षिक समस्या : –

भारतीय संविधान में बालिकाओं को बिना किसी भेद- भाव के राजनैतिक, सामाजिक, तथा शैक्षिक अधिकार प्रदान किये गये हैं, लेकिन फिर भी उनकी शिक्षा प्रगति नहीं हो पा रही है। शिक्षा क्षेत्र में बालिकाओं के उत्थान हेतु भारत सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। बढ़ावा मिले, शिक्षा की प्रतिशता बढ़े। भारत सरकार ने बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अनेक सराहनीय कदम उठाये है लेकिन फिर भी बालिका शिक्षा का विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रही है। भारतीय समाज में बालिका शिक्षा के विकास में अनेक बाधाएं हैं। अनेक समस्याएं हैं वो बाधाएं और समस्याएँ निम्नलिखित हैं :-

1. आर्थिक समस्या :-

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन या विकास में सबसे मुख्य बाधा है आर्थिक स्थिति। भारतीय समाज, भारतीय परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर है और हमारा देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में आज भी 20 प्रतिशत से अधिक लोग गरीब हैं और गरीबी के कारण वो अपनी, बालिकाओं को शिक्षा संस्थानों में भेज नहीं पाते और वो अशिक्षित रह जाते हैं। आर्थिक स्थिति कारण वो अपनी बालिकाओं को शिक्षा नहीं दिला पाते और आर्थिक स्थिति कमजोर होने से अपनी बालिकाओं को अध्ययन रहते हुए भी बीच में ही विद्यालय जाने के लिए रोक लेते हैं। आर्थिक स्थिति एक ऐसी अवधारणा है, ऐसा कारक है जो बालिका शिक्षा को ही नहीं भारतीय समाज के विकास को भी रोकता है। बाधक तत्व की भूमिका निभाता है। बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन, विकास हेतु भारतीय परिवारों का अर्थिक स्थिति से मजबूत होना अतिआवश्यक है।

2. दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की समस्या :

जो शिक्षा की व्यवस्था करता है वो प्रशासन भी दोषपूर्ण है। कुछ राज्यों को छोड़कर स्त्री शिक्षा के प्रशासन का भार पुरुष अधिकारी वर्ग पर है। जिसके कारण बालिका शिक्षा की विभिन्न समस्याओं तथा आवश्यकताओं उनको ना तो भली भांति पता होता है ना वो समझ सकते हैं कि हम किस तरह बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। किस तरह की योजनाएं लागू की जाय जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिले, प्रगति मिले यदि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को भी पदाधिकारी वर्ग में नियुक्त किया जाय तो महिलाओं की शिक्षा के बारे में सीचेंगी, समझेगी और सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करेगी लेकिन भारतीय शिक्षा का प्रशासन पुरुष अधिकारियों के हाथों में

होने के कारण बालिका शिक्षा की प्रगति नहीं हो पाती है और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।

3. अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या :- अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या भी बालिका शिक्षा के विकास का बाधक है। बालिका शिक्षा सबसे अधिक उपव्यय और अवरोधन की समस्या से ग्रस्त है। क्योंकि भारतीय समाज की व्यक्तियों, शिक्षा अधिकारियों का बालिका शिक्षा के प्रति साकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। अपव्यय और अवरोधन बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक है। बालिकाओं के विषय में पूरे भारतीय समाज में कई तरह की रूढ़ियां, अंधविश्वास, और परम्पराएं प्रचलित है जिस कारण बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। भारतीय समाज में जो बालक वर्ग है उस बालक वर्ग को परिवार जन अच्छी शिक्षा दिलाने के पक्षधर होते हैं। जबकि बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दिलाने की पक्ष में नहीं होते हैं। घरेलू कार्य की अधिकता के कारण बालिकाएं विद्यालय तक नहीं पहुँच पाती है। निर्धनता, प्रदा प्रथा, बाल विवाह के कारण अनेक कन्याएं बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं अनेक अभिभावक अपनी बालिकाओं को अधिक से अधिक प्राथमिक या मिडिल स्तर तक ही शिक्षा देने के पक्षधर होते हैं। कुछ अभिभावक तो ये सोच रखते हैं कि बालिकाएं पराया धन होती है और घरेलू कार्य संभालती है अतः इन्हें उच्च शिक्षा कि आवश्यकता नहीं है।

4. बालिका विद्यालय की अभाव की समस्या :

हमारे देश में बालिका विद्यालयों का अभाव है साथ ही कुछ विद्यालय हैं भी तो उनमें अपर्याप्त व्यवस्था है जिनके कारण बालिकाएँ अच्छे से विद्यालय नहीं जा पाती है। देश के दो तिहाई गाँव ऐसे हैं जहाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी प्रकार के भवन नहीं है शेष गाँवों में अधिक विद्यालय केवल छात्रों के लिए है। मजबूर होकर इन विद्यालयों में ही अध्ययन के लिए जाना पड़ता है। नगरो में तो बालिकाओं के लिए कुछ स्कूल और कॉलेज होते हैं परन्तु गाँवों में तो इनका पूर्णतया अभाव होता है। बालिकाओं के लिए व्यवसाय कॉलेजों का भी अभाव है। कई माता – पिता सहशिक्षा के विरोधी होते हैं जिसके कारण बालिकाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता है।

5. रूढ़िवादिता की समस्या :

भारतीय समाज अनेक रूढ़ियों से ग्रस्त है, क्योंकि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो अशिक्षित है और यही अशिक्षिता के कारण अनेक रूढ़ियां उनमें व्याप्त है और रूढ़ियों के कारण बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेज पाते। अधिकांश भारतीय रजो धर्म से पूर्व अपनी कन्याओं का विवाह कर देना अपना परम कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि ऐसा न करना स्मृतिकारों के अनुसार पाप है। इस प्रकार के रूढ़िवादिता सोच के कारण हमारे देश की बालिकाएँ बाल विवाह का शिकार हो जाती है। कई धर्मों में पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन है जिसके कारण भी बालिकाएँ विद्यालय नहीं जा पाती है।

6. अनुचित दृष्टिकोण की समस्या :

हमारे भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण है साथ ही निरक्षरता होने कारण वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते और न ही जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण स्वस्थ होता है। अधिकांश भारतीयों के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है और ऐसी सोच रखते हैं कि जब हमें बालिकाओं से नौकरी ही नहीं करानी है तो उन्हें क्यों बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए।

7. अध्यापिकाओं की अभाव की समस्या :

भारतीय समाज में बालिकाओं की साक्षर दर कम है तो निश्चित रूप से अध्यापिका की कमी होगी बालिका शिक्षा के समस्त स्तरों पर आध्यापिकाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। अध्यापिकाओं का अभाव नगरों की अपेक्षा गाँवों में अधिक है। ग्रामीण विद्यालय में महिला अध्यापिकाओं की संख्या नहीं के बराबर है। इसके कारण बालिकाओं की जो समस्याएँ हैं वो समस्याएँ हल नहीं हो पाती है। बालिकाएँ अपनी समस्याएँ पुरुष वर्ग शिक्षक सामने नहीं रख पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापक का अभाव के अनेक कारण है। जैसे स्त्रियों में शिक्षा प्रसार की कमी, स्त्रियों द्वारा नौकरी ना करना अपमानजनक मानना, आवास निवास की सुविधाओं का अभाव जो स्त्रियों शिक्षित भी होती है वे पिता या पति के इच्छा के विरुद्ध नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकती।

8. दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या :

हमारे भारतीय शिक्षा पाठ्यक्रम अनेक दोषों से युक्त हैं क्योंकि इसमें बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बालको के लिए भी वही पाठ्यक्रम और बालिकाओं के लिए भी नहीं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में भी जो पुरुष वर्ग हैं। उससे संबंधित पाठ्यक्रम का समावेश ज्यादा है। केवल चित्रकला, संगीत कला तथा गृह विज्ञान के अध्यापन की आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की गई है, परन्तु इन विषयों के अध्ययन से बालिकाओं को विशेष लाभ वही होता क्योंकि चित्रकला, संगीत कला तथा गृह विज्ञान में चलकर कोई सरकारी भर्ती नहीं निकलती और उच्च स्तर पर तो इन विषयों का अध्ययन भी समाप्त हो जाता है।

बालिका शिक्षा के लाभ :-

प्राचीनकाल में बालिकाओं की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था नहीं थी परन्तु समयानुसार उसमें परिवर्तन होता गया और आज के दौर में बालिका शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। देश के विकास व विकसित राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है बालिकाओं की शिक्षा द्वारा विभिन्न लाभ है जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है।

1. एक बालिका शिक्षित होती है वह राज्य के विकास में एक अच्छी, शिक्षक, वकील, नर्स, इंजिनियर वैज्ञानिक के रूप में उभर कर आती है।
2. बालिकाओं के शिक्षा ग्रहण करने से आर्थिक स्थितियों में भी सुधार के मौके मिलते हैं, क्योंकि एक शिक्षित महिला नौकरी करके परिवार के भरण, पोषण, में सहायता करती है।
3. एक शिक्षित महिला में अच्छे व बूरे दोनों की परख करने की क्षमता का विकास हो जाता है जिससे परिवार में समायोजन करने में मदद मिलती है।
4. बालिकाओं के शिक्षित होने के बाद वे अपने अधिकार और कर्तव्यों से भली भांति परिचित हो जाती है। जिससे महिलाओं पर होने वाले अत्याचार व घरेलु हिंसा के शिकार होने से बचने की सम्भावना बढ़ जाती है।
5. एक शिक्षित महिला स्वयं के लिए ही शिक्षित नहीं होती अपितु पूरे परिवार को शिक्षित करने में सक्षम हो जाती है, जिससे वे अपने परिवार का कुशल नेतृत्व में सफल हो पाती हैं।
6. बालिका के शिक्षित होने पर पूरे समाज व समुदाय में विभिन्न विचारधाराओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
8. बालिका शिक्षा से यह लाभ भी है कि उन्हें बालकों के समान विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर मिलते हैं जिससे बालिकाएं अपने आप को बालकों के समान कार्य करने में गौरवित महसूस करती है जिससे उनमें उत्साह की प्रेरणा मिलती है।
9. एक शिक्षित महिला जिसके प्रति समाज व परिवार वालों की धारणा बनी है कि महिलाओं सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित है ऐसी विचारधाराओं के बंधन से मुक्त होते हुए समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करती है।
10. बालिकाओं के शिक्षा से देश व समाज को प्रेरणा मिलती है कि यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाए तो वे भी एक अच्छे मार्गदर्शक व सफल नागरिक का मुकाम हासिल कर सकती है।

निष्कर्ष :-

शैक्षणिक पिछड़ेपन/नामांकन के कम होने एवं विद्यार्थियों की परित्याग दर विशेष रूप से छात्राओं की परित्याग दर अधिक होने का प्रमुख कारण अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक गरीबी है। इस वर्ग की स्थिति इतनी खराब है कि ये अपने बच्चों को उच्च स्तर पर प्रवेश देने में असमर्थ है इसलिए राज्य एवं केन्द्र सरकार को इस समस्या को गम्भीरता से समझना चाहिए। अनुसूचित जाति की छात्राओं की विद्यालय परित्याग दर ज्यादा है इस संदर्भ में यह सिफारिश की

जाती है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को पुनः लाने के लिए शिक्षकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को वैकल्पिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ – सूची –

- दास गुप्ता ज्योति (1987) : गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता।
- भटनागर सुरेश (2002) : आधुनिक भारतीय समाज और उसकी समस्याएँ गणपति प्रिन्टर्स मेरठ
- तिवारी रजनी एवं तिवारी राधिका चरण (2000) : स्त्री शिक्षा और समाज आदित्य पब्लिशर्स बीना मेरठ

